

## प्रेस नोट दिनांक-28.09.2019

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 अभियुक्तों को 30 लीटर कच्ची शराब तथा 40 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री प्रवीण सिंह थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा वहद ग्राम चिल्लामाफी से अभियुक्त राजू पुत्र रामजियावन निवासी चिल्लामाफी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची शराब

### बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना पहाड़ी
2. आरक्षी रामअजोर

(ii). उ0नि0 श्री राकेश कुमार यादव थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा वहद ग्राम चिल्लामाफी से अभियुक्त महेश कुमार पुत्र बोधन प्रजापति निवासी चिल्लामाफी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब तथा अभियुक्त सुरेश पुत्र राजबहादुर निवासी भीती मझीवा थाना बिसण्डा जनपद बांदा को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें पंजीकृत किये गये।

### बरामदगी:-

20 लीटर कच्ची शराब (10-10 लीटर प्रत्येक से)

### बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री राकेश कुमार यादव थाना पहाड़ी
2. आरक्षी वेदान्त पाण्डेय

(iii). उ0नि0 श्री शिवस्वरूप मिश्रा थाना रैपुरा तथा उनकी टीम द्वारा मैकी रोड से महुलिया जाने वाले तिराहा पुलिया नाला के पास से अभियुक्त राहुल पुत्र गौरीशंकर निवासी बांधी थाना रैपुरा तथा अभियुक्त छोटू पुत्र दुलारे निवासीगण बांधी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 20-20 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें पंजीकृत किये गये।

### बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री शिवस्वरूप मिश्रा थाना रैपुरा
2. आरक्षी सतीश

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री राजेश कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा तथा उनकी टीम द्वारा मु0सं0 62/18 धारा 323/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त राजमन पुत्राए मिठाईलाल निवासी लौखरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट तथा मु0सं0 107/17 धारा 323/504/506/427 भादवि0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त लवकुश पुत्र छेदीलाल निवासी बसला थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

1. श्री राजेश कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा
2. मुख्य आरक्षी हफीज खां
3. आरक्षी सतीश कुमार